Tasmanian Electoral Commission

इस बार के लेजिस्लेटिव काउन्सल (विधान परिषद) चुनाव में मतदान में मदद के लिए मार्गदर्शिका

याद रखें:

- ▶ आप किसी भी समय मदद मांग सकते/सकती हैं या किसी व्यक्ति को उनकी बात दोहराने के लिए कह सकते/सकती हैं।
- ▶ यदि आपसे मतपत्र भरते समय कोई गलती होती है तो आप नया मतपत्र मांग सकते/सकती हैं।
- ▶ आपका वोट आपकी पसंद को दर्शाता है।
- ▶ आपका वोट गोपनीय है।

1 जब आप मतदान स्थल पर पहुँच जाते हैं - तो आगे क्या होगा?

मतदान स्टाफ सदस्य द्वारा आपकी वोट देने की पात्रता की जाँच के उद्देश्य से आपसे तीन प्रश्न पूछे जाएँगे:

- आपका पूरा नाम क्या है?' - उन्हें अपना पूरा नाम बताएँ। स्टाफ़ सदस्य को अपने नाम का कोई पहचान प्रारूप (जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, हेल्थ केयर कार्ड) दिखाना भी मददगार हो सकता है।
- 'आप कहाँ रहते/रहती हैं?' - उन्हें अपने घर का पता बताएँ।
- 'क्या आपने इस चुनाव में पहले भी मतदान किया है?' - वे आपसे यह प्रश्न इसलिए पूछते हैं क्योंकि आप चुनाव में केवल एक बार ही वोट दे सकते/सकती हैं।

2 आपको एक मतपत्र दिया जाएगा:

- मतपत्र दिए जाने पर आपको उस पर दिए गए निर्देशों का पालन करने के लिए कहा जाएगा।
- निर्देश मतपत्र के सबसे ऊपर दिए गए होते हैं।
- यदि आप किसी चीज़ के बारे में अनिश्चित हैं, तो आप मतदान स्टाफ़ से पूछ सकते/सकती हैं।

3 अपना मतपत्र वोटिंग स्क्रीन पर ले जाएँ:

- वोटिंग स्क्रीन पर पेंसिल दी जाती है, लेकिन आप अपने पेन का प्रयोग भी कर सकते/सकती हैं।
- आपके मतपत्र पर, हर उम्मीदवार के नाम के बाईं ओर एक चौखाना बना होगा।
- आप प्रत्येक चौखाने में अपनी प्राथमिकता के क्रम में नंबर लिखेंगे।
- जो उमीदवार आपकी पहली प्राथमिकता है, आप उसके नाम के बाईं ओर दिए गए चौखाने में '1' लिखेंगे।
- जो उमीदवार आपकी दूसरी प्राथमिकता है, आप उसके नाम के बाईं ओर दिए गए चौखाने में '2' लिखेंगे।
- आप हर नंबर का प्रयोग केवल एक बार करते हुए, सभी चौखानों को इसी प्रक्रिया के माध्यम से भरेंगे।
- **याद रखें:** चौखानों को चिह्नित करने के लिए केवल नंबर का ही उपयोग करें।
- मतपत्र पर अपना नाम **न लिखें** और **न** ही हस्ताक्षर करें।

4 अपना मतपत्र मतदान पेटी में डालें:

- मतदान पेटी के पास मतदान स्टाफ़ मौजूद रहेगा।
- अपना वोट गुप्त रखने के लिए अपने मतपत्र को फोल्ड करें ।